शोधामृत
(कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका)

ISSN : 3048-9296 (Online)
3049-2890 (Print)
IIFS Impact Factor-5.375
Vol.-3; issue-4 (Oct.-Dec.) 2026
Page No- 54-60
©2026 Shodhaamrit
https://shodhaamrit.gyanvividha.com

Author's :

1. एम. डी. अंजुम असगर
शोधार्थी, शिक्षा विभाग, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश

2. डॉ. पवन कुमार शर्मा
शोध पर्यवेक्षक, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश

Corresponding Author :

एम. डी. अंजुम असगर
शोधार्थी, शिक्षा विभाग, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : नीतिगत प्रावधान एवं शैक्षिक परिप्रेक्ष्य

सारांश (Abstract) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत पहल है। इसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण, लचीला, व्यावहारिक एवं रोजगारोन्मुख बनाना है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली में समय-समय पर अनेक सुधार किए गए, लेकिन बदलती सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी एवं वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में नए बदलावों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। इस नीति में स्कूली शिक्षा के पारंपरिक ढाँचे को बदलकर 5+3+3+4 की नई संरचना प्रस्तुत की गई है। इसके साथ ही प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, मातृभाषा में शिक्षण, बहुविषयक उच्च शिक्षा, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल शिक्षण तथा अनुसंधान को विशेष महत्त्व दिया गया है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख नीतिगत प्रावधानों का अध्ययन करना तथा भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में उनके शैक्षिक महत्त्व का विश्लेषण करना है। इस अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति अपनाई गई है तथा सूचना के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल दस्तावेज, सरकारी रिपोर्ट, शैक्षिक पुस्तकों एवं प्रकाशित शोध-पत्रों का उपयोग किया गया है। अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि नई शिक्षा नीति किस प्रकार शिक्षा को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखकर विद्यार्थियों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नैतिक मूल्यों एवं व्यावहारिक कौशल का विकास कर सकती है। साथ ही, नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में वित्तीय संसाधनों की कमी, डिजिटल असमानता, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता तथा ग्रामीण एवं शहरी शिक्षा के बीच अंतर जैसी चुनौतियों पर भी विचार किया गया है। निष्कर्षतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक जनोन्मुखी, समतामूलक एवं ज्ञान आधारित बनाने की व्यापक संभावनाएँ प्रस्तुत करती है। इसकी वास्तविक सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, पर्याप्त संसाधनों तथा सभी वर्गों की समान भागीदारी पर निर्भर करेगी।

बीज शब्द (Keywords) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, शैक्षिक सुधार, समावेशी शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य।

प्रस्तावना (Introduction) : शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास का प्रमुख आधार होती है। यह केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण, विचारों के विकास, सामाजिक चेतना तथा जिम्मेदार नागरिकता के निर्माण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी देश की शिक्षा व्यवस्था उसकी वर्तमान आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य की दिशा भी निर्धारित करती है। भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में शिक्षा का महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ भाषा, संस्कृति, सामाजिक संरचना, आर्थिक स्थिति तथा भौगोलिक परिस्थितियों में व्यापक विविधता देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना तथा प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का विकास करना होना चाहिए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए अनेक प्रयास किए। वर्ष 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा वर्ष 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। वर्ष 1992 में शिक्षा नीति में संशोधन भी किया गया। इन नीतियों के माध्यम से शिक्षा के सार्वभौमीकरण, समान अवसर, महिला शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण तथा उच्च शिक्षा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके बावजूद भारतीय शिक्षा व्यवस्था के सामने

अनेक समस्याएँ बनी रहीं। इनमें शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच शैक्षिक अंतर, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी, उच्च शिक्षा में सीमित अवसर तथा शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ती दूरी प्रमुख थीं। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा बदलती आर्थिक परिस्थितियों ने भी शिक्षा व्यवस्था में नए सुधारों की आवश्यकता को स्पष्ट किया।

इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान की। यह वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद एक व्यापक नई शिक्षा नीति है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला, समावेशी, गुणवत्तापूर्ण एवं विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इस नीति में शिक्षा को केवल परीक्षा और प्रमाणपत्र प्राप्त करने तक सीमित न रखकर ज्ञान, कौशल, नैतिक मूल्यों, रचनात्मकता तथा व्यावहारिक अनुभव से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत स्कूली शिक्षा की पुरानी 10+2 संरचना के स्थान पर 5+3+3+4 की नई शैक्षिक संरचना प्रस्तुत की गई है। साथ ही प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान तथा मातृभाषा में शिक्षण को विशेष महत्त्व दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण बदलावों की परिकल्पना की गई है। बहुविषयक शिक्षा, शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, व्यावसायिक शिक्षा तथा संस्थागत स्वायत्तता इसके प्रमुख पक्ष हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के अवसर प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त डिजिटल शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और कौशल विकास को भी वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप महत्त्व दिया गया है।

हालाँकि, किसी भी शिक्षा नीति की सफलता केवल उसके निर्माण और प्रावधानों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी निर्भर करती है। भारत में आर्थिक असमानता, डिजिटल संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, भाषाई विविधता तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं की सीमित उपलब्धता जैसी चुनौतियाँ इसके कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए इस नीति का अध्ययन केवल उसके उद्देश्यों और प्रावधानों तक सीमित न रखकर उसके व्यावहारिक पक्षों के संदर्भ में भी किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तुत शोध-पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख नीतिगत प्रावधानों, शैक्षिक उद्देश्यों तथा भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, इसके क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों और भावी संभावनाओं का अध्ययन करते हुए यह समझने का प्रयास किया गया है कि यह नीति भारत में गुणवत्तापूर्ण, समतामूलक एवं ज्ञान आधारित शिक्षा व्यवस्था के विकास में किस प्रकार योगदान दे सकती है।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study) :

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, निर्माण की आवश्यकता एवं प्रमुख उद्देश्यों का अध्ययन करना।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख नीतिगत प्रावधानों तथा स्कूली एवं उच्च शिक्षा में प्रस्तावित संरचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
3. शिक्षा में समानता, समावेशिता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, कौशल विकास एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने में इस नीति की भूमिका का अध्ययन करना।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों, व्यावहारिक समस्याओं एवं भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भावी संभावनाओं का विश्लेषण करना।

शोध प्रश्न (Research Questions) :

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख नीतिगत प्रावधान क्या हैं तथा ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार के संरचनात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं?
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली एवं उच्च शिक्षा में समानता, समावेशिता, कौशल विकास, अनुसंधान तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक हो सकती है?
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में कौन-कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं तथा भारतीय शिक्षा व्यवस्था के भविष्य पर इसके क्या संभावित प्रभाव पड़ सकते हैं?

शोध परिकल्पनाएँ (Research Hypotheses) :

H_1 (वैकल्पिक परिकल्पना): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नीतिगत प्रावधान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार, समानता, समावेशिता एवं कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं।

H_2 (शून्य परिकल्पना): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नीतिगत प्रावधानों का भारतीय शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता, समानता, समावेशिता एवं कौशल आधारित शिक्षा पर कोई महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है।

शोध-पद्धति (Research Methodology) : प्रस्तुत शोध-पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नीतिगत प्रावधानों एवं भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों का अध्ययन करने के लिए वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति (Descriptive and Analytical Research Method) अपनाई गई है। यह अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। शोध के लिए भारत सरकार द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल दस्तावेज, शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशा-निर्देश, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के दस्तावेज, संबंधित पुस्तकों, शोध-पत्रों तथा प्रतिष्ठित शैक्षिक पत्रिकाओं का उपयोग किया गया है। अध्ययन में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, समावेशिता एवं डिजिटल शिक्षा से संबंधित नीतिगत प्रावधानों का व्यवस्थित अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त, नीति के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों तथा भारतीय शिक्षा व्यवस्था में इसके संभावित प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है।

साहित्य समीक्षा (Literature Review) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर अनेक पुस्तकों, सरकारी दस्तावेजों एवं शोध-पत्रों में विचार किया गया है। इन साहित्यिक स्रोतों से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में प्रस्तावित सुधारों, नीतिगत उद्देश्यों तथा उनके व्यावहारिक महत्त्व को समझने में सहायता मिलती है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित National Education Policy 2020 इस विषय का प्रमुख

आधारभूत दस्तावेज है। इसमें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास तथा अनुसंधान को प्रोत्साहित करने संबंधी प्रावधानों का विस्तृत उल्लेख किया गया है।

कोठारी शिक्षा आयोग (1964–66) की रिपोर्ट में शिक्षा को राष्ट्रीय विकास, सामाजिक समानता तथा आर्थिक प्रगति का महत्त्वपूर्ण साधन माना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एवं 1986 के दस्तावेजों में भी शिक्षा के विस्तार, समान अवसर तथा शैक्षिक गुणवत्ता पर बल दिया गया है। इन नीतिगत दस्तावेजों का अध्ययन वर्तमान शिक्षा नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने में उपयोगी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित विभिन्न शैक्षिक अध्ययनों में बहुविषयक शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षण, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास तथा उच्च शिक्षा में अनुसंधान की संभावनाओं पर चर्चा की गई है। इन अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक एवं विद्यार्थी केंद्रित बनाने का प्रयास करती है। हालांकि, इसके क्रियान्वयन में वित्तीय संसाधनों की कमी, डिजिटल असमानता, शिक्षक प्रशिक्षण तथा ग्रामीण-शहरी शैक्षिक अंतर जैसी समस्याएँ भी सामने आती हैं। प्रस्तुत अध्ययन पूर्ववर्ती साहित्य के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नीतिगत प्रावधानों एवं शैक्षिक परिप्रेक्ष्य का आलोचनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास करता है।

शोध अंतराल (Research Gap) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर उपलब्ध पूर्ववर्ती अध्ययनों में इसके प्रमुख नीतिगत प्रावधानों, उद्देश्यों एवं शैक्षिक सुधारों पर व्यापक चर्चा की गई है। हालांकि, नीति के सैद्धांतिक उद्देश्यों और उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन के बीच अंतर, ग्रामीण एवं शहरी शिक्षा की असमानता तथा उच्च एवं स्कूली शिक्षा पर इसके समग्र प्रभावों का एकीकृत विश्लेषण अपेक्षाकृत सीमित दिखाई देता है। प्रस्तुत शोध इसी अंतराल को ध्यान में रखते हुए नीति के नीतिगत एवं व्यावहारिक पक्षों का विश्लेषण करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background of National Education Policy) : भारत में शिक्षा का इतिहास प्राचीन काल से ही अत्यंत समृद्ध रहा है। प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षा को व्यक्ति के नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम माना जाता था। गुरुकुल, बौद्ध विहार, नालंदा एवं तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्र ज्ञान और अध्ययन के महत्त्वपूर्ण केंद्र थे। मध्यकाल में मदरसा, मकतब तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा का प्रसार हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कई संरचनात्मक परिवर्तन हुए। वर्ष 1835 में मैकाले का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव तथा 1854 का वुड्स डिस्पैच आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण घटनाएँ थीं। हालांकि, औपनिवेशिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों के लिए कर्मचारी तैयार करना था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार के सामने ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करने की चुनौती थी, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समानता एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सके। इस उद्देश्य से वर्ष 1948–49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसके बाद वर्ष 1952–53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1964 में डॉ. डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग बनाया गया, जिसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों की सिफारिश की। इसी आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। इसमें समान शैक्षिक अवसर, राष्ट्रीय एकता, त्रिभाषा सूत्र तथा शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया गया।

वर्ष 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक व्यापक, समतामूलक एवं प्रभावी बनाना था। इसमें महिला शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षिक विकास, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार को महत्त्व दिया गया। वर्ष 1992 में इस नीति में संशोधन किया गया तथा इसके क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया।

इक्कीसवीं सदी में वैश्वीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्थिक उदारीकरण तथा रोजगार के बदलते स्वरूप ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के सामने नई चुनौतियाँ प्रस्तुत कीं। पुरानी शिक्षा प्रणाली में रटने की प्रवृत्ति, विषयों के बीच सीमित समन्वय तथा व्यावहारिक कौशल की कमी जैसी समस्याएँ महसूस की गईं। इन परिस्थितियों में एक नई एवं व्यापक शिक्षा नीति की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान की। यह वर्ष 1986 की नीति के बाद घोषित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, बहुविषयक, कौशल आधारित एवं वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना है। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक विकास की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्य (Major Objectives of National Education Policy 2020) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, लचीला एवं रोजगारोन्मुख बनाना है। इस नीति के माध्यम से शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान और परीक्षा तक सीमित न रखकर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जोड़ने का प्रयास किया गया है। बदलती सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी एवं वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसमें शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधार की परिकल्पना की गई है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

गुणवत्तापूर्ण एवं सार्वभौमिक शिक्षा का विस्तार: इस नीति का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक बाल्यावस्था से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा की पहुँच बढ़ाने तथा विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने पर बल दिया गया है।

समानता एवं समावेशिता को बढ़ावा देना: शिक्षा के क्षेत्र में जाति, वर्ग, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति तथा भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर होने वाली असमानताओं को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। विशेष रूप से वंचित एवं कमजोर वर्गों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने पर ध्यान दिया गया है।

विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास: नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों में केवल सैद्धांतिक ज्ञान विकसित करना नहीं, बल्कि रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नैतिक मूल्यों तथा समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना भी है।

मातृभाषा एवं भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन: प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा में शिक्षण को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता को बेहतर बनाना है। साथ ही भारतीय भाषाओं एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी बल दिया गया है।

कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा का विकास: विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान, तकनीकी दक्षता तथा रोजगार से संबंधित कौशल प्रदान करना इस नीति का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके माध्यम से शिक्षा और रोजगार के बीच संबंध मजबूत करने का प्रयास किया गया है।

उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन: उच्च शिक्षा में बहुविषयक अध्ययन, संस्थागत गुणवत्ता, अकादमिक लचीलापन तथा शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देना इसका प्रमुख लक्ष्य है।

डिजिटल एवं तकनीकी शिक्षा का विस्तार: आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों को डिजिटल संसाधनों से जोड़ना भी इस नीति का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का व्यापक उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है, जो विद्यार्थियों को ज्ञानवान, कुशल, आत्मनिर्भर एवं जिम्मेदार नागरिक बनाने के साथ-साथ भारत को ज्ञान आधारित समाज के रूप में विकसित करने में योगदान दे सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख नीतिगत प्रावधान (Major Policy Provisions of National Education Policy 2020) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक एवं संरचनात्मक सुधारों की परिकल्पना प्रस्तुत करती है। इस नीति में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास तथा डिजिटल शिक्षण से संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, व्यावहारिक एवं विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके प्रमुख नीतिगत प्रावधान निम्नलिखित हैं।

नई शैक्षिक संरचना (5+3+3+4): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पुरानी 10+2 शैक्षिक संरचना के स्थान पर 5+3+3+4 की नई संरचना प्रस्तुत की गई है। इसमें 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधारभूत स्तर, 8 से 11 वर्ष तक के लिए प्रारंभिक स्तर, 11 से 14 वर्ष तक के लिए मध्य स्तर तथा 14 से 18 वर्ष तक के लिए माध्यमिक स्तर निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों की आयु एवं मानसिक विकास के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था विकसित करना है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा: नीति में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया गया है। खेल, गतिविधियों एवं अनुभव आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चों की भाषा, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक क्षमताओं के विकास पर बल दिया गया है।

बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान: प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने, लिखने तथा सामान्य गणितीय गणना की क्षमता प्रदान करना इसका प्रमुख प्रावधान है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मिशन की परिकल्पना की गई है।

मातृभाषा एवं भारतीय भाषाओं में शिक्षा: नीति में जहाँ तक संभव हो, कम-से-कम कक्षा 5 तक और बेहतर होगा कि कक्षा 8 तथा आगे भी शिक्षण का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा रखने की अनुशंसा की गई है।

पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन में सुधार: विद्यार्थियों को रटने के बजाय समझ, तर्क, रचनात्मकता एवं व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर शिक्षित करने पर बल दिया गया है। परीक्षा प्रणाली को अधिक योग्यता आधारित बनाने तथा सतत मूल्यांकन को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है।

उच्च शिक्षा में सुधार: उच्च शिक्षा को बहुविषयक एवं लचीला बनाने, विषयों के चयन में स्वतंत्रता प्रदान करने तथा अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) की व्यवस्था विकसित करने की परिकल्पना की गई है। स्नातक शिक्षा में तीन या चार वर्ष की अवधि तथा निर्धारित शर्तों के अनुसार विभिन्न चरणों में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा एवं डिग्री प्राप्त करने की व्यवस्था का प्रावधान है।

अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन: नीति में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विषयों में शोध संस्कृति एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना है।

व्यावसायिक एवं कौशल आधारित शिक्षा: कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा, इंटर्नशिप तथा व्यावहारिक अनुभव को पाठ्यक्रम से जोड़ने पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए तैयार करना है।

शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण: शिक्षकों की नियुक्ति, योग्यता, प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक विकास को महत्त्व दिया गया है। वर्ष 2030 तक चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. को शिक्षक शिक्षा के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बनाने की परिकल्पना की गई है।

डिजिटल एवं तकनीकी शिक्षा: शिक्षण प्रक्रिया में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ऑनलाइन शिक्षण तथा डिजिटल संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नीतिगत प्रावधान भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, लचीला, कौशल आधारित एवं ज्ञानोन्मुख बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास प्रस्तुत करते हैं। इन प्रावधानों की वास्तविक सफलता उनके प्रभावी क्रियान्वयन तथा सभी विद्यार्थियों तक समान रूप से शैक्षिक अवसर पहुँचाने पर निर्भर करती है।

स्कूली शिक्षा का बदलता स्वरूप (Changing Nature of School Education) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय स्कूली शिक्षा के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन की परिकल्पना की गई है। इस नीति का उद्देश्य स्कूली शिक्षा को पारंपरिक रटने एवं परीक्षा केंद्रित प्रणाली से बाहर निकालकर समझ, अनुभव, रचनात्मकता तथा व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित बनाना है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को समान महत्त्व देने का प्रयास किया गया है।

इस नीति का सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 10+2 की पुरानी संरचना के स्थान पर 5+3+3+4 की नई शैक्षिक संरचना है। इसमें बच्चों की आयु एवं मानसिक विकास के अनुसार शिक्षण व्यवस्था निर्धारित की गई है। प्रारंभिक स्तर पर खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षा को महत्त्व दिया गया है, जबकि आगे की कक्षाओं में विषय आधारित अध्ययन, प्रयोगात्मक ज्ञान तथा आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित किया गया है।

स्कूली शिक्षा में मातृभाषा एवं स्थानीय भाषाओं के उपयोग को भी विशेष महत्त्व दिया गया है। नीति में जहाँ तक संभव हो, कम-से-कम कक्षा 5 तक तथा बेहतर होगा कि कक्षा 8 और आगे भी मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण की अनुशंसा की गई है। इससे बच्चों को विषयों को समझने तथा अपनी अभिव्यक्ति क्षमता विकसित करने में सहायता मिल सकती है।

इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम को अधिक व्यावहारिक एवं विद्यार्थी केंद्रित बनाने, कला, खेल, विज्ञान, गणित तथा व्यावसायिक शिक्षा को आपस में जोड़ने पर बल दिया गया है। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा एवं इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। परीक्षा प्रणाली

में सुधार करते हुए विद्यार्थियों की केवल याद रखने की क्षमता के बजाय उनकी समझ, विश्लेषण एवं समस्या समाधान की योग्यता का मूल्यांकन करने पर जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा को अधिक लचीला, समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करना है, जो ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक कौशल, आत्मविश्वास एवं सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित कर सकें।

उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान का बदलता परिप्रेक्ष्य (Changing Perspective of Higher Education and Research) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान को भारतीय ज्ञान आधारित समाज के निर्माण का महत्त्वपूर्ण आधार माना गया है। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा शोध संबंधी क्षमताओं का विकास करना भी है। वैश्वीकरण, तकनीकी विकास एवं रोजगार के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस नीति में उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक लचीला, गुणवत्तापूर्ण एवं बहुविषयक बनाने पर विशेष बल दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक प्रमुख प्रावधान उच्च शिक्षा में बहुविषयक अध्ययन को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार विभिन्न विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। उदाहरण के लिए, इतिहास का विद्यार्थी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान अथवा तकनीकी विषयों का अध्ययन भी कर सकता है। इससे विद्यार्थियों का ज्ञान व्यापक होगा तथा उनमें विभिन्न विषयों को आपस में जोड़कर समझने की क्षमता विकसित होगी।

उच्च शिक्षा में अकादमिक लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (Academic Bank of Credits) की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। स्नातक शिक्षा में तीन या चार वर्ष की अवधि तथा निर्धारित शर्तों के अनुसार अलग-अलग चरणों में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा एवं डिग्री प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। इससे विद्यार्थियों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा जारी रखने में सुविधा मिल सकती है।

अनुसंधान के क्षेत्र में भी इस नीति ने महत्त्वपूर्ण परिवर्तन की दिशा प्रस्तुत की है। इसमें राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शोध संस्कृति को विकसित करना तथा विभिन्न विषयों में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना है। इसके माध्यम से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी एवं अन्य क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास, डिजिटल शिक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी महत्त्व दिया गया है। नीति में उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या एवं क्षमता बढ़ाने तथा शिक्षा तक पहुँच को व्यापक बनाने पर बल दिया गया है।

हालाँकि, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, योग्य शिक्षक, आधुनिक प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय तथा शोध सुविधाएँ आवश्यक हैं। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के संस्थानों में इन सुविधाओं की कमी एक बड़ी चुनौती हो सकती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा को पारंपरिक विषय केंद्रित व्यवस्था से आगे बढ़ाकर बहुविषयक, अनुसंधान आधारित एवं नवाचारोन्मुख बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण पहल प्रस्तुत करती है। इसका प्रभावी क्रियान्वयन भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत कर सकता है।

व्यावसायिक एवं कौशल आधारित शिक्षा (Vocational and Skill-Based Education) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक एवं कौशल आधारित शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया गया है। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन की व्यावहारिक आवश्यकताओं एवं रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना भी है। तेजी से बदलती आर्थिक एवं तकनीकी परिस्थितियों में केवल पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों को ऐसे कौशल प्रदान करना आवश्यक है, जिनके माध्यम से वे रोजगार प्राप्त करने के साथ-साथ स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की परिकल्पना की गई है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को बढ़ईगिरी, कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प, विद्युत कार्य, स्थानीय उद्योग तथा अन्य व्यावहारिक गतिविधियों से परिचित कराने पर बल दिया गया है। इसके साथ ही इंटर्नशिप एवं कार्य अनुभव के माध्यम से विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में सीखने के अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य श्रम के प्रति सम्मान विकसित करना तथा शिक्षा और कार्य के बीच संबंध स्थापित करना है।

इस नीति में वर्ष 2025 तक कम-से-कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को स्कूली एवं उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल, उद्यमिता, संचार क्षमता एवं समस्या समाधान जैसे कौशलों के विकास पर भी जोर दिया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक व्यवसायों एवं आधुनिक तकनीक के उपयोग की जानकारी मिल सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को कृषि, लघु उद्योग, हस्तशिल्प एवं अन्य रोजगारपरक गतिविधियों से जोड़ने में सहायता मिल सकती है। साथ ही, यह शिक्षा बेरोजगारी की समस्या को कम करने तथा आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करने में योगदान दे सकती है।

हालाँकि, व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों, आधुनिक उपकरणों, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों तथा उद्योगों के साथ सहयोग की आवश्यकता है। सामाजिक स्तर पर व्यावसायिक कार्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना भी आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यावसायिक एवं कौशल आधारित शिक्षा को भारतीय शिक्षा व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाकर विद्यार्थियों को अधिक व्यावहारिक, आत्मनिर्भर एवं रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में प्रयास करती है।

समावेशी एवं समानतापूर्ण शिक्षा (Inclusive and Equitable Education) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी एवं समानतापूर्ण शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया गया है। किसी भी लोकतांत्रिक एवं विकसित समाज के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सामाजिक, आर्थिक, भाषाई, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों से अलग रखते हुए शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में शिक्षा के क्षेत्र में असमानता एक गंभीर समस्या रही है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा दिव्यांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन असमानताओं को कम करने का प्रयास करती है।

इस नीति में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (Socio-Economically Disadvantaged Groups) की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत बालिकाओं, दिव्यांग बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष उपायों की परिकल्पना की गई है। छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता को इस दिशा में महत्त्वपूर्ण माना गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जेंडर इन्क्लूजन फंड (Gender Inclusion Fund) की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसका उद्देश्य बालिकाओं एवं ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों सहित वंचित समूहों की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अनुकूल शिक्षण सामग्री, सहायक तकनीक तथा सुलभ शैक्षिक वातावरण विकसित करने पर भी बल दिया गया है।

इस नीति में मातृभाषा एवं स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देकर भाषाई विविधता का सम्मान करने का प्रयास किया गया है। इससे विभिन्न भाषाई एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिल सकती है।

हालाँकि, समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक, विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएँ तथा सामाजिक जागरूकता आवश्यक हैं। विशेष रूप से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में इन सुविधाओं का विस्तार एक बड़ी चुनौती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति का समान अवसर एवं अधिकार बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास करती है। इसकी सफलता तभी सुनिश्चित हो सकेगी, जब समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में वास्तविक एवं समान भागीदारी प्राप्त होगी।

नीति के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य व्यापक और दूरदर्शी हैं, लेकिन इन उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से लागू करना एक बड़ी चुनौती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में शिक्षा व्यवस्था की परिस्थितियाँ सभी राज्यों और क्षेत्रों में समान नहीं हैं। इसलिए नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई स्तरों पर प्रयास करने की आवश्यकता है।

सबसे बड़ी चुनौती पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता है। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, डिजिटल उपकरणों और प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था के लिए अधिक निवेश आवश्यक है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थिति अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाई है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल शिक्षा के विस्तार में इंटरनेट, बिजली और स्मार्ट उपकरणों की कमी बाधा उत्पन्न करती है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समान अवसर नहीं मिल पाते।

शिक्षकों का प्रशिक्षण भी नीति के सफल क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण पक्ष है। नई शिक्षण पद्धतियों, तकनीकी साधनों, बहुविषयक शिक्षा और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण देना आवश्यक है। कई शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित मानव संसाधन और आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। मातृभाषा में शिक्षा लागू करने के लिए गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकों तथा अध्ययन सामग्री का विकास भी एक चुनौती है।

उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वायत्तता, शोध सुविधाओं, बहुविषयक पाठ्यक्रमों और शैक्षणिक सुधारों को लागू करने में भी व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। राज्यों के बीच नीतिगत समन्वय, प्रशासनिक क्षमता और संसाधनों का असमान वितरण इस प्रक्रिया को और जटिल बनाते हैं। इसके साथ ही, व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने तथा समाज में श्रम और कौशल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सफलता केवल नीतिगत घोषणाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पर्याप्त बजट, प्रशिक्षित शिक्षक, मजबूत आधारभूत संरचना, डिजिटल सुविधाओं और केंद्र-राज्य समन्वय पर निर्भर करती है।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर संभावित प्रभाव एवं भविष्य की संभावनाएँ : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। इसका उद्देश्य शिक्षा को केवल परीक्षा और प्रमाणपत्र प्राप्त करने तक सीमित न रखकर ज्ञान, कौशल, रचनात्मकता और व्यावहारिक अनुभव से जोड़ना है। इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से भारतीय शिक्षा व्यवस्था अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख बन सकती है।

विद्यालयी शिक्षा में 5+3+3+4 की नई संरचना से बच्चों की आयु और सीखने की क्षमता के अनुसार शिक्षण व्यवस्था विकसित होने की संभावना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर विशेष ध्यान देने से विद्यार्थियों की शैक्षिक नींव मजबूत हो सकती है। मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहन मिलने से बच्चों में विषयों को समझने और सीखने की क्षमता बढ़ सकती है। इसके साथ ही, गतिविधि आधारित शिक्षण और कौशल विकास विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार कर सकते हैं।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुविषयक अध्ययन, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, शोध को प्रोत्साहन और संस्थानों की स्वायत्तता से नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। विद्यार्थी अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विषयों का चयन कर सकेंगे। इससे उच्च शिक्षा में नामांकन, शोध की गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार से युवाओं की रोजगार क्षमता तथा स्वरोजगार की संभावनाएँ भी बढ़ सकती हैं।

भविष्य में डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन अध्ययन और तकनीकी संसाधनों का विस्तार भारतीय शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक हो सकता है। साथ ही, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को शिक्षा से जोड़ने में भी यह नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

हालाँकि, इन संभावनाओं की वास्तविक सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, पर्याप्त वित्तीय निवेश और समान शैक्षिक अवसरों पर निर्भर करेगी। यदि नीति के प्रावधानों को व्यावहारिक रूप से लागू किया जाता है, तो यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, आत्मनिर्भर और ज्ञान आधारित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

सुझाव : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी बनाने के लिए इसके प्रावधानों का व्यावहारिक और चरणबद्ध क्रियान्वयन आवश्यक है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त वित्तीय बजट उपलब्ध कराना चाहिए। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विद्यालयों में भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, इंटरनेट तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियों, डिजिटल तकनीक और कौशल आधारित शिक्षा के लिए नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकों और अध्ययन सामग्री का विकास आवश्यक है। उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध, नवाचार और बहुविषयक अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा को स्थानीय उद्योगों, कृषि और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आर्थिक रूप से कमजोर, ग्रामीण और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति तथा अन्य सहायता सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। नियमित मूल्यांकन और पारदर्शी निगरानी से नीति के क्रियान्वयन में सुधार किया जा सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, लचीला और रोजगारोन्मुख बनाना है। इसमें विद्यालयी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, शोध, व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा तक विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के प्रावधान किए गए हैं। 5+3+3+4 की नई शैक्षिक संरचना, मातृभाषा में शिक्षण, बुनियादी साक्षरता, बहुविषयक शिक्षा और कौशल विकास जैसे प्रावधान भारतीय शिक्षा को नई दिशा प्रदान करने की क्षमता रखते हैं।

इस नीति के माध्यम से विद्यार्थियों में केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि रचनात्मकता, तार्किक चिंतन, समस्या समाधान और व्यावहारिक कौशल विकसित करने पर भी बल दिया गया है। उच्च शिक्षा में शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहन देने तथा शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त, वंचित वर्गों, ग्रामीण विद्यार्थियों और बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

हालाँकि, नीति की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों, प्रशिक्षित शिक्षकों, डिजिटल सुविधाओं और मजबूत शैक्षिक आधारभूत संरचना के अभाव में इसके उद्देश्यों को पूरी तरह प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षकों तथा समाज के बीच समन्वय आवश्यक है।

अंततः कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल शिक्षा प्रणाली में बदलाव का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत को ज्ञान आधारित, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके उद्देश्यों को ईमानदारी और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो यह भारतीय शिक्षा के भविष्य को नई संभावनाएँ प्रदान कर सकती है।

संदर्भ सूची (References) :

1. भारत सरकार , 1950 , भारत का संविधान , भारत सरकार।
2. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय ,2020 , राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ,भारत सरकार।
3. भारत सरकार , 1968 ,राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ,भारत सरकार।
4. भारत सरकार , 1986 , राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 , भारत सरकार।
5. भारत सरकार ,1992 ,राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986: 1992 में संशोधित ,भारत सरकार।
6. शिक्षा आयोग ,1966 , शिक्षा और राष्ट्रीय विकास: शिक्षा आयोग की रिपोर्ट , 1964–66 , भारत सरकार।
7. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय , 2020 , वार्षिक रिपोर्ट , भारत सरकार।
8. अग्रवाल, जे. सी. 2001 , आधुनिक भारतीय शिक्षा: इतिहास, विकास एवं समस्याएँ , शिप्रा पब्लिकेशंस।
9. अग्रवाल, जे. सी. 2021 , भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास , शिप्रा पब्लिकेशंस।
10. अग्रवाल, जे. सी. 2023 , भारत में शिक्षा नीति: 1992 तथा 2000 और 2005 की समीक्षा , शिप्रा पब्लिकेशंस।
11. कुमार, कृष्ण , 1991 , शिक्षा का राजनीतिक एजेंडा: औपनिवेशिक एवं राष्ट्रवादी विचारों का अध्ययन , सेज पब्लिकेशंस।
12. प्रसाद, मनमोहन , 2020 , भारतीय शिक्षा दर्शन , भाषा प्रकाशन।
13. कुमार, प्रवीण , 2020 , भारतीय शिक्षा का इतिहास , भाषा प्रकाशन।
14. सिन्हा, पूनम , 2020 , भारत में शिक्षा आयोगों का इतिहास, भाषा प्रकाशन।
15. शर्मा, शिवशंकर ,2020 , भारतीय शिक्षा की समस्याएँ और समाधान , भाषा प्रकाशन।
16. साहाय, राजेन्द्र ,2020 , भारत में विद्यालयों का संगठन एवं प्रबंधन , भाषा प्रकाशन।
17. कुमार, संतोष ,2020 , ब्रिटिश भारत की शिक्षा नीति , भाषा प्रकाशन।

•